भूमिका

नियोजित विकास को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने के लिए ससमय गुणवत्ता के लिए आंकड़ों का एकत्रीकरण आवश्यक है । कार्यान्वित योजनाओं का अर्थव्यवस्था के विभिन्न खण्डों पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन, विकास संकेतकों के निर्माण, राज्य आय के आगणन आदि कार्यों हेतु ऑकड़ों की मॉग निरन्तर होती है । ऑकड़ों की उपलब्धता की समीक्षा करने पर यह तथ्य दृष्टिगोचर होता है कि अर्थव्यवस्था के कुछ खण्डों जैसे कृषीय खण्ड के अन्तर्गत भू अभिलेखों के माध्यम से तथा कृषीय गणना एवं सर्वेक्षणों के आधार पर भूमि उपयोग, प्रमुख फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल, उत्पादकता, उत्पादन, सिंचित क्षेत्र आदि मदों से सम्बन्धित ऑकड़े नियमित रूप से उपलब्ध हो जाते हैं । अकृषीय खण्ड के संगठित क्षेत्र के अन्तर्गत पंजीकृत कारखानों, खानों, रेलवे, राज्य परिवहन उपक्रमों, बैंकों व मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों आदि से सम्बन्धित प्रमुख ऑकड़े भी उपलब्ध होते रहते हैं परन्तु कुछ खण्डों जैसे विनिर्माण, व्यापार, यातायात, निर्माण एवं सेवा आदि से सम्बन्धित असंगठित क्षेत्र के ऑकड़ों की उपलब्धता सन्तोषजनक नहीं रही है । इसके फलस्वरूप रिक्त खण्डों जैसे गैर पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों तथा सड़क एवं जल यातायात सम्बन्धी कतिपय ऑकड़ों उपलब्धता लगभग नगण्य हैं । अकृषीय असंगठित क्षेत्र के ऑकड़ों के अभाव में राष्ट्रीय/राज्य आय में इस क्षेत्र के सम्पूर्ण योगदान की सूचना उपलब्ध नहीं हो पाती है । उपर्युक्त के अतिरिक्त अर्थव्यवस्था के सन्तुलित विकास के नियोजन हेतु अकृषीय असंगठित क्षेत्र, सेवायोजन, उत्पादन व उत्पादकता सम्बन्धी विस्तृत सूचना की निरन्तर आवश्यकता बनी रहती है ।

अर्थव्यवस्था के उन विभिन्न खण्डों जिनके ऑकड़े या तो अनुपलब्ध हैं या उपलब्धता सन्तोषजनक नहीं है, से सम्बन्धित ऑकड़ों को प्राप्त करने हेतु राष्ट्र स्तर एवं प्रदेश स्तर पर समय–समय पर प्रयास किये गये हैं । इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1968–69 में घरेलू उद्योग सर्वेक्षण, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में वाणिज्य सर्वेक्षण द्वारा ऑकड़े एकत्र करना, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा गैर कृषीय कार्यकलापों में रत परिवारों के ऑकड़े एकत्र करना, वर्ष 1971 में राष्ट्रव्यापी जनगणना में संस्थान पर्ची का भरा जाना, वर्ष 1971–73 की अवधि में अपंजीकृत औद्योगिक इकाइयों की गणना तथा 1973–74 में विकास आयुक्त, लघु एवं कुटीर उद्योग के अधीन इकाइयों की गणना कराने के प्रयास विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । इन समस्त दुरूह प्रयासों के बाद भी अकृषीय कार्यकलापों के असंगठित क्षेत्र के ऑकड़ों की नियमित उपलब्धता का अभाव बना रहा ।

असंगठित क्षेत्र के पर्याप्त एवं विश्वसनीय ऑकड़ों की अनुपलब्धता के दृष्टिगत इन्हें प्राप्त करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, भारत सरकार द्वारा प्रथम बार 1977 में देशव्यापी आर्थिक गणना करायी गयी । इस गणना के अनुभवों व परिणामों का लाभ उठाते हुए वर्ष 1980 व 1990 में जनगणना के प्रथम चरण के साथ ही क्रमशः द्वितीय व तृतीय आर्थिक गणना के ऑकड़े एकत्रित कराये गये । तदोपरान्त चतुर्थ आर्थिक गणना वर्ष 1998 में तथा पंचम आर्थिक गणना वर्ष 2005 में स्वतंत्र रूप से सम्पन्न करायी गयी ।

1.1 प्रथम आर्थिक गणना

प्रथम आर्थिक गणना 1977 का विषय वस्तु एवं क्षेत्र सीमित था जिसके अन्तर्गत गैर कृषीय क्षेत्र में केवल ऐसे प्रतिष्ठानों को ही सम्मिलित किया गया, जिनमें नियमित रूप से कम से कम एक श्रमिक भाड़े पर कार्यरत हो, ऑकड़ों को एकत्र करने के दृष्टिकोण से नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग–अलग नीति अपनायी गयी । समस्त नगरीय क्षेत्रों में घर–घर जाकर ऑकड़े एकत्र किये गये किन्तु ग्रामीण क्षेत्र के केवल 5000 तथा अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों में प्रत्येक घर जाकर सूचना एकत्र की गयी तथा 5000 से कम जनसंख्या वाले ग्रामों में ग्राम स्तर पर पूछताछ (किसी जानकार व्यक्ति से) करके सूचना एकत्र की गयी । एकत्रित ऑकड़ों के अन्तर्गत मूलभूत सूचनाएं जैसे संस्थानों की संख्या व स्वरूप उनमें सामान्यतः कार्यरत व्यक्तियों की संख्या, भाड़े पर कार्यरत व्यक्तियों की संख्या, स्वामित्व का प्रकार, स्वामी का सामाजिक वर्ग, प्रयुक्त शक्ति/ईंधन आदि सम्मिलित थीं ।

1.2 द्वितीय आर्थिक गणना

1980 का क्षेत्र एवं विस्तार प्रथम आर्थिक गणना 1977 की अपेक्षा अधिक वृहद था । प्रथम आर्थिक गणना में स्वकार्य उद्यमों और कृषीय उद्यमों को छोड़ दिया गया था । रोजगार के अधिकाधिक अवसरों के सृजन के दृष्टिकोण से द्वितीय आर्थिक गणना में स्वकार्य उद्यमों से भी सूचना संग्रह कराना आवश्यक समझा गया । साथ ही कृषीय क्षेत्र (फसल उत्पादन तथा बागवानी के अतिरिक्त) के स्वकार्य उद्यमों तथा संस्थानों को भी गणना में सम्मिलित किया गया । इस प्रकार आर्थिक गणना 1980 के अन्तर्गत कृषीय तथा अकृषीय उद्यमों (स्वकार्य उद्यम तथा संस्थान) से सम्बन्धित सूचना प्रदेश के समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों से एकत्र की गयी । एकत्रित सूचना के अन्तर्गत प्रत्येक उद्यम के सम्बन्ध में कार्यकलाप का विवरण, कृषीय या गैर कृषीय में वर्गीकरण, बारहमासी या मौसमी, स्वामित्व का प्रकार (निजी, सहकारी, सरकारी या अन्य), स्वामी का सामाजिक वर्ग, प्रयुक्त ईंधन, रोजगार तथा भाड़े पर श्रमिक आदि की सूचना सम्मिलित थी। द्वितीय आर्थिक गणना जनगणना 1981 के मकान सूचीकरण कार्य के साथ ही सम्पन्न करायी गयी ।

1.3 तृतीय आर्थिक गणना

आर्थिक गणना 1980 के अनुभवों का लाभ उठाते हुए मितव्ययिता तथा विशाल मानवशक्ति के प्रयोग को दृष्टिगत रखते हुए तृतीय आर्थिक गणना 1990 का कार्य जनगणना 1991 के लिए मकान सूचीकरण कार्य के साथ ही सम्पादित कराया गया तथा इसकी कार्यविधि एवं विषयवस्तु आर्थिक गणना 1980 के समान ही थी ।

1.4 चतुर्थ आर्थिक गणना

यद्यपि प्रारम्भ में भारत सरकार का विचार आर्थिक गणना को प्रत्येक 5 वर्ष के अन्तराल पर सम्पन्न कराने का था । परन्तु वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण द्वितीय व तृतीय आर्थिक गणना का कार्य क्रमशः जनगणना 1981 व 1991 के प्रथम चरण के साथ सम्पन्न करायी गयी । असंगठित क्षेत्र में कार्यरत उद्यमों में पायी जाने वाली उच्च दर की नश्वरता, गतिशीलता व उत्पादन के स्वरूप में परिवर्तन के कारण पुनः आर्थिक गणना को प्रत्येक 5 वर्ष के अन्तराल पर कराने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया गया । तद्नुसार वर्ष 1998 में आर्थिक गणना स्वतंत्र रूप से सम्पन्न करायी गयी । इस प्रकार चतुर्थ आर्थिक गणना 1998, दूसरी व तीसरी आर्थिक गणना से कुछ बातों में भिन्न है । जैसे– दूसरी व तीसरी आर्थिक गणना के लिए भारत सरकार के निर्देशन में जनगणना 1981 व 1991 के लिए मकान सूची भरते समय ऑकड़े एकत्र कराये गये थे । गणना में प्रयुक्त होने वाली अनुसूचियों का मुद्रण एवं वितरण भारत सरकार द्वारा सम्पन्न कराया गया था । अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा मात्र तकनीकी सहयोग ही प्रदान किया गया था । जबकि चतुर्थ आर्थिक गणना–1998 के लिए अनुसूचियों के मुद्रण, वितरण, प्रगणन खण्डों की संरचना, कार्मिकों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण तथा अन्य समस्त क्षेत्रीय कार्य का संचालन अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा सम्पन्न कराया गया ।

आर्थिक गणना–1998 के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में कृषि फसल उत्पादन व बागवानी से सम्बन्धित कार्यकलापों को छोड़कर अन्य सभी कृषीय तथा अकृषीय उद्यमों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की गयी ।

1.5 पंचम आर्थिक गणना

भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अन्तर्गत केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के निर्देशन में अब तक 5 आर्थिक गणनाओं का कार्य पूर्ण किया जा चुका है । प्रथम आर्थिक गणना वर्ष 1977 में की गयी थी । 5वीं आर्थिक गणना वर्ष 2005 में सम्पन्न करायी गयी । प्रारम्भ की तीन आर्थिक गणना से चतुर्थ आर्थिक गणना–1998 कुछ बातों में भिन्न थी एवं स्वतंत्र रूप से सम्पन्न करायी गयी थी । 5वीं आर्थिक गणना–2005 भी स्वतंत्र रूप से सम्पन्न करायी गयी । 5वीं आर्थिक गणना का विधायन मैनुअल न होकर ĉ (इन्टेंलीजेंस करैक्टर रिकग्नीशन) द्वारा किया गया । इस प्रकार 5वीं आर्थिक गणना पूर्व की आर्थिक गणनाओं से कतिपय बातों में भिन्न तथा आंकड़ों के विधायन में पूर्णतया कम्प्यूटराइज्ड/अद्यतन तरीके पर आधारित थी ।

(1) स्वतंत्र रूप से सम्पादन

5वीं आर्थिक गणना–2005 के लिए अनुसूचियों के मुद्रण एवं वितरण, प्रगणन खण्डों की संरचना, कार्मिकों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण तथा अन्य समस्त क्षेत्रीय कार्य का संचालन अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा सम्पन्न कराया गया ।

(2) विषय क्षेत्र

द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ आर्थिक गणना का विषय क्षेत्र अर्थव्यवस्था में सम्मिलित समस्त खण्ड (कृषि फसल उत्पादन व बागवानी को छोड़कर) था । 5वीं आर्थिक गणना का विषय क्षेत्र भी चतुर्थ आर्थिक गणना के समान ही है । भारत सरकार द्वारा 1991 में आरम्भ की गयी उदारीकरण नीति का असंगठित क्षेत्र पर पड़े प्रभाव का मूल्यांकन तथा भवन संरचना के आधार पर निर्धनों के अभिज्ञान हेतु कुछ अतिरिक्त सूचनाएं एकत्र करने का प्राविधान किया गया । 5वीं आर्थिक गणना–2005 के अन्तर्गत क्षेत्र से ऑकड़ों के एकत्रीकरण हेतु चार प्रपत्रों यथा– (1) मकान सूची प्रपत्र, (2) उद्यम सूची प्रपत्र, (3) उद्यम सार, (4) पहचान पर्ची का प्रयोग किया गया ।

चतुर्थ आर्थिक गणना से इतर 5वीं आर्थिक गणना में पहचान पर्ची ऐसे उद्यमों, जिनमें 10 या इससे अधिक व्यक्ति(मजदूरी एवं गैर मजदूरी वाले मिलाकर) कार्यरत हैं, के लिए प्रयोग की गयी है ।

ग्रामीण क्षेत्र में गणना की इकाई ग्राम तथा नगरीय क्षेत्र में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, भारत सरकार द्वारा निर्मित नगरीय ढॉचा सर्वेक्षण खण्ड(यू.एस.एफ.ब्लाक) रखा गया है ।

केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, भारत सरकार द्वारा 5वीं आर्थिक गणना हेतु वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति केन्द्र पुरोनिधानित योजना के रूप में की गयी । राज्यों से यह अपेक्षा की गयी किः–

- *राष्ट्रीय स्तर पर प्रदत्त प्रशिक्षण के अनुसार राज्य में सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाये । इस प्रशिक्षण के आधार पर जिला स्तरीय अधिकारी अपने जनपद के क्षेत्रीय पर्यवेक्षकों एवं प्रगणकों को प्रशिक्षित करेंगे ।*
- *आर्थिक गणना–2005 के ऑकड़े मकान सूची, उद्यम सूची एवं पहचान पर्ची प्रपत्रों पर एकत्र किये जायेंगे ।*
- *एकत्रित ऑकड़ों के आधार पर त्वरित संकलन कर राज्य के उद्यमों के सम्बन्ध में प्रमुख मदों की सूचना केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन को उपलब्ध करायेंगे ।*
- *उद्यम सूचियों के परिनिरीक्षण तथा कोडीकरण का कार्य सम्पादित किया जायेगा।*
- *परिनिरीक्षित अनुसूचियों के आधार पर ऑकड़ों का ब्द तकनीक के द्वारा कम्प्यूटर पर विधायन किया जाएगा । इस तकनीक के अपनाये जाने के फलस्वरूप निम्नलिखित विशेष निर्देश दिये गयेः–*
  - ☞ *अनुसूचियों को भरने में अंग्रेजी अंकों का ही प्रयोग किया जाए ।*
  - ☞ *अनुसूचियों को किसी भी दशा में मोड़ा न जाए ।*
  - ☞ *आंकड़ों को मूल प्रपत्रों पर संकलित/भरा जाए ।*
  - ☞ *अनुसूचियों को काली स्याही के बाल/जेल पेन से भरा जाए*
  - ☞ *प्रत्येक अंक/अक्षर बाक्स के अन्दर बीच में लिखा जाए एवं बाक्स की लाइन से स्पर्श न हो ।*
  - ☞ *ओवर राइटिंग न की जाए । सुधार की दशा में उस लाइन को काट कर नई लाइन का उपयोग किया जाए ।*
- *अन्तिम तालिकाओं के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जायेगी ।*

1.5 क्षेत्र विस्तार एवं आच्छादन

आर्थिक गणना–2005 के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में कृषि फसल उत्पादन व बागवानी से सम्बन्धित कार्यकलापों को छोड़कर अन्य सभी कृषीय तथा

अकृषीय उद्यमों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की गयी । उद्यमों के सम्बन्ध में उनकी स्थिति, स्थापना का स्थान, कार्यकलाप का विवरण, उद्यम का प्रकार (कृषीय या अकृषीय), उद्यम की प्रकृति (मौसमी या बारहमासी), स्वामित्व का प्रकार (निजी, सहकारी या सरकारी), सामाजिक वर्ग (अनुसूचित जाति/जनजाति या अन्य), शक्ति का उपयोग, कुल तथा भाड़े पर कार्यरत व्यक्तियों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की गयी । अनुसूचियों/प्रपत्रों में प्रयुक्त शब्दों व अवधारणाओं की परिभाषा आगामी अनुच्छेद में दी गयी है ।

1.6 परिभाषाएं

(1) उद्यम(म्जंइसपेउमदज)

आर्थिक गणना के प्रयोजनार्थ उद्यम एक ऐसे उपक्रम को माना गया जो किसी वस्तु के उत्पादन और/या वितरण और/या किसी प्रकार के ऐसे सेवा कार्य में रत हों जो पूर्णतया स्व–उपभोग के लिए न हो ।

उद्यम के कर्मचारी, परिवार के सदस्य अथवा भाड़े के श्रमिक अथवा दोनों ही हो सकते हैं तथा उद्यम के कार्यकलाप एक या एक से अधिक हो सकते हैं किन्तु ये कार्यकलाप स्पष्ट रूप से नियमित आधार पर अर्थात् मौसम/वर्ष के मुख्य भाग के दौरान चालू रहे हों । ऐसे मामलों को भी उद्यम माना गया जिनमें उद्यम का स्वामित्व किसी एक व्यक्ति/परिवार अथवा संयुक्त रूप से कई परिवार/साझेदारी/अथवा संस्थागत निकाय या सरकार का रहा हो । 5वीं आर्थिक गणना–2005 में उद्यमों को अंग्रेजी में म्जंइसपीउमदज शब्द से परिभाषित किया गया है ।

(1.1) कृषीय उद्यम

पशुधन, उत्पादन, कृषीय सेवाओं, आखेटन तथा आखेट प्रसार वानिकी एवं लट्ठा सम्बन्धी कार्यकलाप (राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण–2004 के प्रमुख वर्ग समूह 011, 012, 013, 014 एवं 015 के अनुरुप) में रत उद्यमों को कृषि उद्यम माना गया । फसल उत्पादन तथा बागवानी कार्यकलाप में रत उद्यमों को गणना में शामिल नहीं किया गया ।

(1.2) अकृषीय उद्यम

कृषीय के अतिरिक्त कार्यकलापों में रत उद्यमों को अकृषीय उद्यम माना गया। कृषीय एवं संवर्गीय कार्यकलापों के उत्पादों के विधायन–जैसे ऊन की गॉठ बनाना या विधायन, दूध संग्रह एवं बेचना, तम्बाकू का विधायन, धान से चावल बनाना, गेहूँ से आटा बनाना आदि कार्यकलाप अकृषीय उद्यम माने गये ।

(1.3) संस्थान(म्जंइसपेउमदजे)

ऐसे उद्यम को संस्थान माना गया जिसमें कम से कम एक व्यक्ति नियमित रूप से भाड़े पर कार्यरत था ।

(1.4) स्वकार्य उद्यम

केवल पारिवारिक श्रम की सहायता से संचालित उद्यमों को स्वकार्य उद्यम माना गया ।

(2) संकार्य की प्रकृति

ऐसे उद्यम को बारहमासी माना गया, जिसका कार्यकलाप सामान्यतया नियमित रूप से वर्ष भर किया जाना था । यदि उद्यम का कार्यकलाप वर्ष के एक विशेष भाग में ही किया जाता हो तो उसे मौसमी माना गया ।

(3) स्वामित्व का प्रकार

उद्यम के स्वामित्व को अलाभकारी निजी, अन्य निजी, सहकारी तथा सरकारी चार श्रेंणियों में विभक्त किया गया ।

(3.1) अलाभकारी निजी संस्थायें

इस श्रेणी में ऐसी संस्थायें सम्मिलित होंगी जो किसी परिवार अथवा वाणिज्यिक संगठन द्वारा सहायता प्राप्त और नियंत्रित हैं, तथा जिनका उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं है ।

(3.2) अन्य निजी

किसी उद्यम को निजी के रूप में समझा गया यदि इसका प्रबन्ध एक व्यक्ति अथवा निजी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा किया जा रहा हो और प्रबन्धन व हिस्सेदारी दोनों में सरकार की सहभागिता न हो । यदि कोई निजी उद्यम सरकार से ऋण लेता है, तो उसे

सरकारी उद्यम नहीं समझा गया । अलाभकारी निजी संस्थाओं के वर्ग में निर्दिष्ट उद्यमों के अतिरिक्त सभी निजी उद्यमों को ''अन्य निजी'' के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

(3.3) सहकारी

सहकारी समितियों के अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत सभी उद्यमों को ''सहकारी'' स्वामित्व के रूप में समझा गया ।

(3.4) सरकारी

सभी उद्यम जिनका स्वामित्व केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकायों (जिला परिषद, नगर निगम और नगर प्राधिकरण इत्यादि) के अधीन हैं, सरकारी उद्यम माने गये हैं । विश्वविद्यालयों शैक्षिक बोर्डों जैसे उद्यम जो स्वायत्तशासी हैं, परन्तु केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकायों से अनुदान प्राप्त कर रहे हैं, को भी ''सरकारी'' श्रेणी में सम्मिलित किया गया ।

(4) स्वामी का सामाजिक वर्ग

प्रत्येक उद्यम के स्वामी के सामाजिक वर्ग का कोड निम्न प्रकार अंकित किया गया ।

;पद्ध केवल निजी उद्यम	**संकेतांक**
महिला	
अनु0 जनजाति महिला	1
अनु0 जाति महिला	2
अन्य पिछड़ी जाति महिला	3
अन्य महिला	4
पुरूष	
अनु0 जनजाति पुरुष	5
अनु0 जाति पुरुष	6
अन्य पिछड़ी जाति पुरूष	7
अन्य पुरूष	8

;पपद्धनिजी उद्यम के अतिरिक्त(सहकारी, सरकारी, सार्व.क्षेत्र और अलाभकारी निजी संस्थायें) 9

इस सूचना के एकत्रीकरण हेतु सम्बन्धित राज्य/संघ क्षेत्र की सरकारों द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए अधिसूचित जातियों की सूची का उपयोग किया गया ।

इस स्तम्भ के उद्देश्य से ऐसे निजी उद्यमों के लिए कोड 1–8 लागू थे, जो केवल एक स्वामी पर आधारित हैं या भागीदारी के आधार पर चलाये जाते हैं । सहकारी, सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र, अलाभकारी निजी संस्थाओं, लिमिटेड कम्पनियों आदि को ''निजी उद्यमों के अतिरिक्त'' के रूप में वर्गीकृत किया गया है । इस प्रकार के उद्यमों के स्वामी का न तो कोई सामाजिक वर्ग हो सकता है और न ही कोई लिंग भेद किया जा सकता है । ऐसे सभी उद्यमों का स्वामित्व कोड–9 रखा गया ।

यदि निजी उद्यम भागीदारी के आधार पर संचालित है और साझेदार विभिन्न सामाजिक वर्ग के हों तो संकेतांक प्राथमिकता का निर्धारण अनु0 जनजाति प्रथम, अनु0 जाति द्वितीय, पिछड़ी जाति तृतीय एवं अन्य को अंतिम क्रम पर रखा गया है । उद्धाहरणार्थ यदि एक उद्यम संयुक्त रूप से अनु. जनजाति महिला(संकेतांक–1) और अन्य महिला(संकेतांक–4) द्वारा संचालित हो तो ऐसी दशा में संकेतांक–1 दिया जाएगा । इसी प्रकार यदि एक उद्यम संयुक्त रूप से एक पिछड़े वर्ग की महिला(संकेतांक–3) और अनुसूचित जनजाति पुरूष(संकेतांक–5) द्वारा संचालित हो तो संकेतांक–5 दिया जाएगा ।

(5) प्रयुक्त शक्ति/ईंधन

यदि उद्यम के कार्यकलाप में किसी प्रकार का ईंधन/शक्ति का प्रयोग किया जा रहा था तो उसे शक्ति सहित उद्यम माना गया । यदि उद्यम का कार्यकलाप केवल मानव शक्ति के आधार पर किया जा रहा था तो ऐसे उद्यम को शक्ति रहित उद्यम माना गया । भिन्न–भिन्न प्रकार शक्तियों/ईधन के लिए संकेतांको का प्रयोग किया गया, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:–

शक्ति का प्रकार	संकेतांक
बिना शक्ति	1
विद्युत/उत्पादन के उद्देश्य से उपभोग	2
कोयला/साफ्ट कोक	3
पेट्रोल/डीजल/मिट्टी का तेल	4
रसाई गैस/प्राकृतिक गैस	5
जलाऊ लकड़ी	6
पशु शक्ति	7
गैर पारम्परिक ऊर्जा	8
अन्य	9

यदि किसी उद्यमीय क्रिया–कलाप को चलाने में एक से अधिक प्रकार की शक्ति/ईधन का प्रयोग किया जाता है तो इसका संकेतांक उस मुख्य स्रोत, जिस पर व्यय अधिक होता है, का संकेतांक दिया गया ।

(6) परिसर या बिना परिसर उद्यम

यदि उद्यम मकान/भवन के अन्दर कार्यरत हों तो उसे परिसर युक्त उद्यम माना गया । इसके अतिरिक्त खुले में, बिना निश्चित स्थान के कार्यरत उद्यमों को या सचल उद्यम को बिना परिसर उद्यम माना गया ।

(7) सामान्यतः प्रतिदिन कार्यरत व्यक्ति

उद्यम के कार्यकलाप में सामान्य रूप से प्रत्येक दिन कार्य करने वाले व्यक्तियों को इसमें सम्मिलित किया गया चाहे वे स्वामी के परिवार के व्यक्ति हों या भाड़े पर रखे गये श्रमिक हों ।

(8) भाड़े पर कार्य करने वाले व्यक्ति

सामान्यतः नियमित रूप से किसी उद्यम में भाड़े पर कार्य करने वाले व्यक्तियों को इसके अन्तर्गत रखा गया ।

1.7 क्षेत्रीय कार्य का संगठन

प्रदेश के समस्त 70 जनपदों में स्थित 304 तहसीलों के समस्त 107480 राजस्व ग्रामों एवं 706 नगरों के प्रत्येक परिवार/प्रतिष्ठान से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करके उद्यमों की गणना की गयी है । यह कार्य अखिल भारतीय स्तर पर वृहद एवं समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्पन्न कराया गया ।

ग्रामीण अंचल के लिए लगभग 250 परिवार तथा नगरीय क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन(क्षेत्रीय संकार्य प्रभाग), भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये मानचित्र व सीमा विवरण के अनुसार प्रत्येक यू.एफ.एस. खण्ड(लगभग 170 परिवारों की संख्या की अवधारण को दृष्टिगत रखते हुए) ग्रामीण क्षेत्र में कुल 151483 तथा नगरीय क्षेत्र में कुल 52108 अर्थात प्रदेश में कुल 203591 प्रगणन खण्डों का निर्धारण किया गया । क्षेत्रीय गणना का कार्य प्रदेश के प्राथमिक/जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों, ग्राम्य विकास विभाग/समाज कल्याण विभाग के क्षेत्रीय कर्मियों, बेरोजगार युवकों तथा स्वैच्छिक संगठनों के कुल 66952 प्रगणकों एवं प्राथमिक/जूनियर विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों, उप विद्यालय/सहायक उप विद्यालय निरीक्षकों, वरिष्ठतम् वेतनमान में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारियों, सं.वि.अ.(सां./पंचायत/समाज कल्याण/सहकारिता/कृषि) तथा जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालयों में कार्यरत सहायक अर्थ एवं संख्याधिकारियों व अर्थ एवं संख्या निरीक्षकों को सम्मिलित करते हुए लगभग 32390 पर्यवेक्षकों तथा 1561 चार्ज अधिकारियों के सहयोग से सम्पन्न कराया गया । जिला स्तर पर समस्त अर्थ एवं संख्याधिकारी तथा मण्डलीय उप निदेशक(अर्थ एवं संख्या) के अथक परिश्रम से इस कार्य की सफलता सुनिश्चित की गयी । समस्त क्षेत्रीय कार्य में समग्र तकनीकी मार्ग दर्शन, कुशल प्रबन्धन तथा उच्च स्तर पर विभिन्न विभागों में परस्पर समन्वय स्थापित करने में राज्य स्तर पर अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश की श्रेष्ठ भूमिका रही।

आर्थिक गणना के वृहद कार्य को निर्धारित समयावधि में सफलतापूर्वक पूर्ण कराने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों में परस्पर यथोचित सामन्जस्य एवं समन्वय सुनिश्चित करने

हेतु मुख्य सचिव, उ.प्र. की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय आर्थिक गणना स्टीयरिंग एण्ड मानीटरिंग तथा क्षेत्रीय कार्य के सतत अनुश्रवण हेतु समस्त जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला आर्थिक गणना समन्वय एवं अनुश्रवण समिति का गठन कराया गया ।

ग्रामीण क्षेत्रों में विकास खण्ड स्तर पर एवं नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय निकाय स्तर पर क्रमशः खण्ड विकास अधिकारी तथा सचिव/अधिशासी अधिकारी/उप नगर अधिकारी को चार्ज अधिकारी नामित किया गया । ग्रामीण क्षेत्र में प्रगणन खण्ड व नगर क्षेत्र में यू0एफ0एस0 ब्लाक को प्रगणन इकाई माना गया। प्रत्येक प्रगणन खण्ड में ऑकड़ों के एकत्रीकरण हेतु विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को प्रगणक व पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया ।

1.8 प्रशिक्षण

5वीं आर्थिक गणना में एकत्रित आंकड़ों की विश्वसनीयता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सर्वप्रथम लखनऊ में चार राज्यों यथा– उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के अर्थ एवं संख्या विभाग के निदेशकों एवं उनके अधीनस्थ कार्यरत कोर ग्रुप के अधिकारियों को 6–7 दिसम्बर, 2004 में अखिल भारतीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित कर प्रशिक्षित किया गया, तत्पश्चात प्रदेश में लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी, झांसी तथा मेरठ केन्द्रों पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित कर समस्त जिला अर्थ एवं संख्याधिकारियों एवं मण्डलीय उप निदेशकों को प्रशिक्षण दिया गया । प्रशिक्षित जिला अर्थ एवं संख्याधिकारियों द्वारा अपने–अपने जनपदों में समस्त चार्ज अधिकारियों, जिनमें ग्रामीण अंचल के समस्त खण्ड विकास अधिकारी, समस्त उप विद्यालय/सहायक उप विद्यालय निरीक्षक तथा नगरीय क्षेत्र के समस्त अधिशाषी अधिकारी आदि सम्मिलित थे, को प्रशिक्षण दिया गया । अन्तिम चरण में चार्ज अधिकारियों द्वारा गणना कार्य में नियुक्त किये गये समस्त प्रगणकों व पर्यवेक्षकों को प्रयुक्त परिभाषाओं तथा अवधारणाओं से भिज्ञ करते हुए विधिवत प्रशिक्षण देकर उन्हें व्यावहारिक पूर्वाभ्यास के साथ गणना कार्य हेतु भली–भांति दक्ष किया गया।

आर्थिक गणना के क्षेत्रीय कार्य के समय राज्य, मण्डल एवं जिला स्तर से निरीक्षणों की भी व्यवस्था की गयी ताकि प्रगणकों को तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे । निर्धारित मकान सूची व उद्यम सूचियों पर ऑकड़ों का एकत्रीकरण करने के उपरान्त 'उद्यम सूची सार' तथा 'मकान सूची सार' प्रपत्रों पर प्रगणकों द्वारा सूचना तैयार कर अपने पर्यवेक्षकों को प्रस्तुत की गयी । भरी हुई अनुसूचियों का परिनिरीक्षण करने के बाद ये अनुसूचियॉ सम्बन्धित चार्ज अधिकारी के माध्यम से जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय में जमा की गयीं जिसके आधार पर त्वरित सारणीयन करके अनन्तिम परिणाम प्रभाग मुख्यालय के माध्यम से भारत सरकार को उपलब्ध कराये गये । अनुसूचियों का पुनः परिनिरीक्षण एवं उद्यमों के कार्यकलाप के आधार पर चार अंकीय उद्यम संकेत अंकित करने का कार्य अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा किया गया ।

1.9 ऑकड़ों का विधायन

एकत्रित ऑकड़ों के परिनिरीक्षणोपरान्त उद्यम सूची के ऑकड़ों के कम्प्यूटर पर विधायन का कार्य सम्पन्न कराया गया । डेटा इन्ट्री, वैलीडेशन तथा सारणीकरण एवं समरी स्टेटमेन्ट तैयार कराने का कार्य केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा विकसित साफ्टवेयर के आधार पर सम्पन्न कराया गया । जनपदवार समरी तालिकाएं तथा रिपोर्ट लेखन हेतु बनाई गयीं विशिष्ट तालिकाएं केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन को उपलब्ध करायी गयी। सारिणीयन के आधार पर तैयार की गयी तालिकायें आगामी अध्यायों में दी गयी हैं ।